कारागार विभाग राजस्थान

नागरिक चार्टर

नागरिक चार्टर

1. हमारा उद्देश्य

(i) समाज के लिए स्थापित विधान के विपरीत कार्य करने वाले व्यक्तियों को न्यायालयों के आदेशों के अनुपालन में सुरक्षित रूप से अभिरक्षा में बंद रखना।

(ii) दोषसिद्ध बंदियों को सजा भुगताने के साथ–साथ उन्हें विभिन्न व्यवसायों में प्रशिक्षित करना।

(iii) बंदियों में पनपे विकारों को दूर कर उनकी मानसिक सोच में परिवर्तन करना।

(iv) बंदियों को विभिन्न प्रवृतियों में शिक्षित, प्रशिक्षित करके जागरूक करना एवं उन्हें सुधार कर एक उपयोगी नागरिक के रूप में समाज में पुनस्थापन के लिये तैयार करना।

2. विभागीय संगठन एवं प्रशासन

समाज में कानून व्यवस्था कायम रखने के लिये स्थापित विभागों में से कारागार विभाग एक महत्वपूर्ण इकाई है। वर्तमान में कारागार विभाग के अन्तर्गत 3 क्षेत्रीय कार्यालय उप महानिरीक्षक कारागार, रेन्ज एवं 105 जेलों व 52 बंदी खुले शिविर तथा एक कारागार प्रशिक्षण संस्थान स्थापित हैं। राज्य की सभी जेलों में (बंदी खुले शिविरों सहित) 23770 बंदियों को रखे जाने की क्षमता निर्धारित है तथा इनमें दंडित बंदियों की सजा अवधि के अनुरूप रखे जाने के आधार पर इन जेलों को केन्द्रीय, जिला, उप कारागृह एवं बंदी खुले शिविरों के रूप में वर्गीकृत किया हुआ है।

i	केन्द्रीय कारागृह–10	इनमें आजीवन कारावास से दंडित बंदियों सहित सभी तरह के दंडित बंदियों एवं स्थानीय विचाराधीन बंदियों को रखा जाता है।
ii	विशिष्ट केन्द्रीय कारागृह–1 (श्यालावास, दौसा)	इस कारागृह में दण्डित बंदियों को रखा जाता है।
iii	जिला कारागृह 'ए' श्रेणी–2	इनमें 10 वर्ष तक की सजा से दंडित एवं स्थानीय विचाराधीन बंदियों को रखा जाता है।
iv	जिला कारागृह 'बी' श्रेणी–31	इनमें 3 वर्ष तक की सजा से दंडित बंदियों एवं स्थानीय विचाराधीन बंदियों को रखा जाता है।
v	उच्च सुरक्षा कारागार–1 (अजमेर)	हार्डकोर अपराधियों को रखा जाता है।
vi	उप कारागृह–53	इनमें 3 माह तक की सजा से दंडित बंदियों एवं स्थानीय विचाराधीन बंदियों को रखा जाता है।
vii	महिला बंदी सुधारगृह–7 (जयपुर/जोधपुर/अजमेर/भरतपुर/उदयपुर/कोटा/बीकानेर)	इसमें राज्य की सभी 3 माह से अधिक सजा से दंडित महिला बंदियों एवं स्थानीय विचाराधीन बंदियों को रखा जाता है।
viii	किशोर बंदी सुधारगृह–1 (जैतारण)	इसमें 18 से 21 वर्ष की आयु के दंडित किशोर बंदियों को रखा जाता है।
viii	बंदी खुले शिविर–52	इनमें 5 वर्ष अधिक सजा से दंडित बंदियों जिन्होंने

		अपनी सजा का एक तिहाई भाग सदाचरण से भुगत लिया हो एवं पात्रता श्रेणी में आते हों, को रखे जाने का प्रावधान है। वर्तमान में इन शिविरों में 1578 बंदियों को रखे जाने की व्यवस्था है।

कारागार विभाग के प्रभावी संचालन एवं नियंत्रण का कार्य महानिदेशक एवं महानिरीक्षक कारागार, राजस्थान, जयपुर का है जिनके सहायोग के लिए एक अति. महानिदेशक कारागार एवं 02 महानिरीक्षक पुलिस/कारागार एवं 04 उप महानिरीक्षक कारागार, पदस्थापित हैं। जेलों के नियंत्रण अधिकारी अधीक्षक/उप अधीक्षक केन्द्रीय एवं जिला कारागृह तथा प्रभाराधिकारी, उप कारागृह होते है। अधीक्षक, उप अधीक्षक राजस्थान जेल सेवा कारागार विभाग के अधिकारी होते है।

3. कार्य पद्धति एवं बंदियों को उपलब्ध सुविधाएं

(i) **कारागृह भवन**–विभाग के विभिन्न कारागृहों के भवन स्टेट टाइम के बने हुए है। इन पुराने भवनों में वर्तमान आवश्यकताओं के अनुरूप परिवर्तन, परिवर्धन किये जाते रहे है तथा काफी नये भवन निर्मित किये जाकर क्षमता में वृद्धि कर बंदियों को समुचित मानवीय सुविधाएं उपलब्ध करवाने का विशेष ध्यान रखा जा रहा है। 6:1 के अनुपात में फ्लशः शौचालय बनवाये जाते है तथा बंदी बैरकों में पंखे लगवाये जाते है।

(ii) **भोजन एवं वस्त्रादि**–सभी बंदियों को बिना किसी भेदभाव के राज्य सरकार द्वारा निर्धारित स्केल अनुसार एक समान भोजन उपलब्ध कराया जाता है। बंदियों को सुबह शाम दो समय चाय, सुबह नास्ता, खाने में दाल/कढ़ी, केला/अण्डा व हरी सब्जी, गेहूं की रोटी एवं चटनी उपलब्ध करवाई जाती है। चिकित्सक की सलाह पर बीमार बंदियों को मेडिकल खुराक यथा दलिया–खिंचड़ी, दूध आदि उपलब्ध करवाये जाते है। राज्य सरकार के आदेशानुसार प्रत्येक रविवार को बन्दियों को मिठाई (खीर/हलवा) दी जाती है।

सभी बंदियों को औढने, बिछाने के लिये दरी एवं कम्बल दिये जाते हैं एवं खाना खाने के लिये स्टील के बर्तन (थाली, कटौरी, मग) दिये जाते हैं। विचाराधीन बंदी स्वयं के कपड़े पहनते हैं तथा दंडित बंदियों को राज्य सरकार द्वारा निर्धारित स्केल के अनुसार सफेद वर्दी उपलब्ध करायी जाती है।

(iii) **चिकित्सा एवं स्वास्थ्य व्यवस्था**–सभी कारागृहों पर पूर्ण कालिक एवं पार्ट–टाइम चिकित्सक एवं मेलनर्स पदस्थापित रखने की व्यवस्था की हुई है। जेल भवनों में साफ सुथरा वातावरण बनाये रखा जाता है एवं प्रत्येक बंदी का जेल में प्रवेश के वक्त स्वास्थ्य परीक्षण करने एवं बीमार बंदियों की चिकित्सा व्यवस्था करने की व्यवस्थाएं की हुई है। गंभीर बीमारी से ग्रसित बंदियों के ईलाज व्यवस्था सामान्य अस्पतालों के विशेषज्ञ चिकित्सकों से करवायी जाती हैं। केन्द्रीय एवं जिला कारागृहों में जेल अस्पतालों में आधुनिक उपकरण उपलब्ध करवाये जाते है।

(iv) **मुलाकात एवं पत्र व्यवहार**–विचाराधीन बंदियों को सप्ताह में एक बार एवं दंडित बंदियों को 15 दिवस में एक बार उनके परिजनों एवं मित्रों से मुलाकात करने की सुविधा है। मुलाकात हेतु केन्द्रीय कारागृहों पर सप्ताह में सोमवार के अतिरिक्त 06 दिवस व जिला/उप/म. सुधारगृह कारागृहों में सप्ताह में मंगलवार, बुधवार, शनिवार एवं रविवार निर्धारित है मुलाकात समय 45 मिनट निर्धारित है। ऐसे बंदी जो स्वयं के व्यय पर पत्र व्यवहार नहीं कर सकते उन्हें राजकीय व्यय पर अपने परिजनों से पत्र व्यवहार की सुविधा उपलब्ध करवायी जाती है।

(v) **<u>विधिक सहायता</u>**–प्रत्येक जेल में विधिक सहायता केन्द्र स्थापित किये गये है जिनके माध्यम से बंदियों को विधिक एवं आर्थिक दृष्टि से कमजोर बंदियों को निःशुल्क विधिक सहायता उपलब्ध करवायी जाती हैं दंडित बंदियों की जेल के मार्फत अपील करने की सुविधा दी जाती है।

बंदियों की पारिवारिक समस्याओं के निराकरण के लिये जिला अधिकारियों के माध्यम से सुविधा उपलब्ध करायी जाती है।

(vi) **<u>खेलकूद एवं मनोरंजन की सुविधाएं</u>**–बंदियों के समुचित शारीरिक एवं मानसिक विकास के लिये खेलकूद एवं मनोरंजन की सुविधाओं के रूप में इन्डोर गैम्स, सांस्कृतिक गतिविधियों की व्यवस्थाएं की जाती हैं। बंदियों को रेडियो, टी.वी.,केबल, पत्र, पत्रिकाएं, समाचार पत्र आदि उपलब्ध करवाये जाते है। जेलों में योगा, विपश्यना, आर्ट ऑफ लिविंग, साधू संतों धर्म प्रचारकों द्वारा उपदेश दिये जाने की व्यवस्थाएं की जाती है। बंदियों के लिए साक्षरता, उच्च शिक्षा, वोकेशनल एवं तकनीकी शिक्षा के कार्यक्रम चलाये जाते है।

(vii) **<u>दंडित बंदियों के लिये सुविधाएं एवं सुधार कार्यक्रम</u>**

(i) **<u>उद्यम प्रशिक्षण</u>**–राज्य की 10 कारागृहों में जेल उद्योग स्थापित किये जाकर दंडित बंदियों के विभिन्न उद्यमों में प्रशिक्षण दिया जाता हैं। बंदियों से बेगार नहीं लेकर काम के बदले 240 रूपये प्रति दिवस कुशल श्रमिक बंदी को, 216 रूपये प्रति दिवस अकुशल श्रमिक को पारिश्रमिक दिया जाता है। उनके द्वारा अर्जित कुशल श्रमिक 309 व अकुशल श्रमिक 285 के पारिश्रमिक में से 25 प्रतिशत राशि की कटौती पीड़ित पक्ष को भुगतान के लिये ली जाकर इस राशि का भुगतान पीड़ित पक्ष एवं इनके विधिक वारिशों को किया जाता है।

(ii) **<u>रेमीशन</u>**–बंदियों को सदाचरण एवं पूर्ण कार्य करने के एवज में रेमीशन दिया जाता है। विशेष सेवाओं जैसे फरारी रोकना, उच्च गुणवता का उत्पादन कार्य करना, अनुकरणीय आचरण प्रदर्शित करने पर अधीक्षक जेल एवं महानिरीक्षक कारागार द्वारा विशेष परिहार दिया जाता हैं। अच्छे आचरण एवं जेल सेवा में सहयोग करने वाले बंदियों को पात्रता अर्जित करने पर सी.एन.डब्ल्यू., सी.ओ. आदि बंदी पद दिये जाकर इस कार्य के एवज में रेमीशन दिया जाता है। इस प्राप्त रेमीशन का लाभ बंदियों को रिहाई, पैरोल, खुले शिविरों के लिए पात्रता अर्जित करने में मिलता है।

(iii) **<u>पैरोल</u>**–दंडित बंदियों (07 वर्ष से कम सजा के दण्डित बन्दी) को उनकी सजा का एक चौथाई भाग एवं 07 वर्ष से अधिक आजीवन कारावास से दण्डित बंदियों को सजा का 1/2 भाग मय परिहार पूर्ण पर प्रथम नियमित पैरोल 20 दिवस, इसके 11 माह बाद द्वितीय पैरोल 30 दिवस तथा, इसके 11 माह बाद तृतीय पैरोल 40 दिवस तक की अवधि का एवं इसके बाद 40 दिवस का प्रत्येक वर्ष चतुर्थ पैरोल के रूप में स्वीकृत किया जा सकता है। नियमित पैरोल जिला कमेटी द्वारा स्वीकार किया जा सकता हैं चतुर्थ पैरोल के बाद स्थाई पैरोल, स्थाई पैरोल समिति की अनुशंसा पर गृह विभाग द्वारा स्वीकृत किया जाता है।

आकस्मिक कारणों यथा नजदीकी रिश्तेदारों के गंभीर रूप से बीमार होने, मृत्यु होने, प्राकृतिक आपदा से हुए नुकसान पर एवं बंदी स्वयं एवं उसके बच्चों के विवाह के लिये 7 दिवस का अधीक्षक जेल एवं 15 दिवस का महानिरीक्षक कारागार या जिला मजिस्ट्रेट द्वारा आकस्मिक पैरोल स्वीकृत किया जा सकता है।

(iv) <u>बंदी खुला शिविर</u>–बंदियों द्वारा अपनी सजा की एक तिहाई भाग मय परिहार पूर्ण करने पर एवं अन्य पात्रताएं रखने पर बंदी खुला शिविर में भेजे जाने की सुविधा दी जाती हैं जहां बंदी अपने परिवार के साथ रहकर भी सजा भुगतते हुए स्वयं की मेहनत से जीविकोपार्जन कर अपना व अपने परिवार का भरण पोषण करता है।

(v) <u>समय पूर्व रिहाई</u>– राजस्थान प्रिजन्स (शार्टनिंग ऑफ सेन्टेन्सेज) रूल्स, 2006 एवं संशोधन नियम 2018 के अन्तर्गत 14 वर्ष की सजा मय विचाराधीन अवधि के मूल सजा भुगतने एवं 02 वर्ष 06 माह का जेल परिहार अर्जित करने पर समयपूर्व रिहाई के मामलों पर विचार कर अपनी सिफारिश राज्य सरकार को भेजने हेतु राज्य सरकार द्वारा केन्द्रीय एवं जिला कारागृहों पर सलाहकार मंडलों का गठन किया हुआ है। सलाहकार मण्ड़ल बदियों के समय पूर्व रिहाई प्रकरणों पर विचार कर बंदियों को छोड़े जाने/न छोड़े जाने की सिफारिश राज्य सरकार को करते हैं और राज्य सरकार द्वारा सलाहकार मण्ड़लों की सिफारिश को दृष्टि में रखकर बंदियों को समयपूर्व छोड़े जाने या ना छोड़े जाने का निर्णय लिया जाता है।

4. <u>हमारे मूल्य</u>–

1. जेल में कानून व्यवस्था, रचनात्मकता और सुरक्षा व्यवस्था को सुदृढ बनाना।
2. समाज में अपराध निरोध उन्मूलन को उच्च प्राथमिकता प्रदान करना।
3. अपराधियों को सुधारकर मुख्य धारा से जोड़ना।
4. अच्छे व सुधरे हुए बंदियों के कल्याण, उन्नयन के लिये जेल नियमों के अन्तर्गत प्रयास करना।
5. संवेदनशील प्रशासन, कानून कटिबद्धता एवं उपयुक्त पारदर्शिता को बनाये रखना।
6. भ्रष्टाचार पर प्रभावी निवारण कर जेल के बंदियों को स्वच्छ, निष्पक्ष एवं ईमानदार प्रशासन देने में सहयोग करना।
7. जेलों में नियम विरूद्ध आचरण के कारणों, स्वरूप व प्रावधानों की रक्षा करना।
8. जेल विभाग के स्टॉफ को उचित प्रशिक्षण एवं मार्गदर्शन देकर कार्यकुशलता एवं क्षमता को बढाना।
9. भ्रष्ट लोक सेवकों के खिलाफ कार्यवाही करना एवं कर्मचारियों के हितों की रक्षा करना।
10. समाज में शिक्षण संस्थाओं और गैर सरकारी संस्थाओं व प्रबुद्धजनों का बंदी सुधार व अपराध निरोध हेतु सहयोग करना।
11. सूचना के अधिकार अधिनियम, 2005 के अन्तर्गत सूचना मांगने वाले व्यक्तियों को सूचना समय पर उपलब्ध कराना।

5. <u>जनता से अपेक्षाएँ</u>– अपराध विहीन समाज के निर्माण के लिये विभाग द्वारा बंदियों की सोच में परिवर्तन लाकर उन्हें सुधार कर एक उपयोगी नागरिक के रूप में समाज में पुर्नस्थापित

करने के पुनित कार्य में विभिन्न समाज सेवी संगठनों, समाज सुधारकों एवं नागरिकों के सकारात्मक एवं सक्रिय सहयोग की बराबर आवश्यकता बनी रहती है।

6. **शिकायत एवं परिवाद**– कदाचित यह संभव है कि कतिपय कर्मचारियों द्वारा बंदियों के प्रति दुर्व्यवहार करने, दैनिक सुविधाओं में कमी करने, भ्रष्ट आचरण प्रदर्शित करने, नियम विरूद्ध कार्यवाही करने, विलम्ब करने की शिकायतें हो सकती है अतः ऐसे दोषों के संबंध में अपनी शिकायत एवं सुझाव प्राधिकृत अधिकारियों यथा संबंधित कारागृह के अधीक्षक/उप अधीक्षक एवं प्रभाराधिकारी, संबंधित जिला मजिस्ट्रेट, संबंधित रनेज उप महानिरीक्षक कारागार, मुख्यालय के अधिकारियों यथा महानिदेशक कारागार, अति. महानिदेशक, महानिरीक्षक कारागार, वरिष्ठ लेखाधिकारी, कारागार को प्रेषित करें जिससे पारदर्शी एवं उत्तरदायी प्रशासकीय व्यवस्थाएं कायम की जा सकें।

7. **सूचना का अधिकार :–** सूचना का अधिकार प्राप्त करने के लिए लोक प्राधिकरण द्वारा कारागार विभाग के लिए लोक सूचना अधिकारी महानिदेशक कारागार विभाग राजस्थान, जयपुर को नियुक्त किया गया है। महानिदेशालय कारागार, जयपुर के लिये अधीक्षक, क्षेत्रीय कार्यालय उदयपुर, जोधपरु, जयपुर के लिए संबंधित उप महानिरीक्षक कारागार, केन्द्रीय कारागृहों के लिये संबंधित कारागृह के अधीक्षक, जिला कारागृहों के लिये संबंधित कारागृह के अधीक्षक/उपाधीक्षक एवं प्रभाराधिकारी, उप कारागृहों के लिये संबंधित कारागृह प्रभारी अधिकारी को लोक सूचना अधिकारी नियुक्त किया गया है। निर्धारित शुल्क जमा करवाकर संबंधित अधिकारी से नियमानुसार सूचनायें प्राप्त की जा सकती हैं।

8. **बंदियों से संबंधित कार्य निष्पादन की सामान्य समयावधि :–**

1– बंदियों के प्रार्थना पत्रों का अग्रेषण एवं निस्तारण	3 दिवस
2– बंदियों को स्थानीय स्तर पर समस्याओं का निस्तारण	3 दिवस
3– बंदियों के आकस्मिक पैरोल प्रार्थना पत्रों का निस्तारण	3 दिवस (अधिकतम कारणों सहित)
4– बंदियों के नियमित पैरोल प्रकरण की बैठक	मासिक
5– बंदी खुला शिविर समिति की बैठक	मासिक (रिक्तियों के आधार पर मुख्यालय कारागार विभाग)
6– बंदियों के स्थाई पैरोल प्रकरण पर राज्य स्तरीय बैठक	मासिक
7– समय पूर्व रिहाई की समिति की बैठक	वर्ष में दो बार (जनवरी एवं जुलाई)
8– बंदियों के परिजनों से मुलाकात की समयावधि	45 मिनट (समयावधि 45 मिनट अधिकतम 3 व्यक्ति माईनर बच्चों के अतिरिक्त)
(क) केन्द्रीय कारागृह	
(ख) जिला कारागृह	
(ग) उप कारागृह	
9– कारागृहों पर प्राप्त परिवाद का निस्तारण	7 दिवस